कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा / माध्य / संस्था / वरि / के–2 / 11968 / मानदण्ड / 19–20 दिनांक 24.08.2021

समस्त संयुक्त निदेशक
(स्कूल शिक्षा)

विषयः– द्वितीय श्रेणी अध्यापक का स्वैच्छा से अन्तर मण्डल स्थानान्तरण होने पर कार्यमुक्त / कार्यग्रहण के समय संबंधित मण्डल की वरिष्ठता सूची से विलोपन / नामांकन करने की कार्यवाही के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रायः यह देखने में आया है कि द्वितीय श्रेणी अध्यापक पद पर कार्यरत कार्मिक का अन्य मण्डल में स्थानान्तरण होता है तो उसकी वरिष्ठता का विलोपन लम्बे समय तक नहीं किया जाता है साथ ही जिस मण्डल में कार्मिक स्थानान्तरित होता है उस मण्डल की वरिष्ठता सूची में उसका नामांकन नहीं किया जाता है।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण एक मण्डल से अन्य मण्डल में स्वंय की प्रार्थना पर हो तो संबंधित संस्था प्रधान कार्मिक से नामांकन / विलोपन निर्धारित आवेदन–पत्र प्राप्त कर ही कार्यमुक्त / कार्यग्रहण की कार्यवाही करें एवं आवेदन उचित माध्यम से संभाग कार्यालय को प्रेषित करने हेतु पाबन्द करें। संभाग कार्यालय प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर यथाशीध्र प्रपत्र–06 (वरिष्ठता विलोपन आदेश) आवश्यक रूप जारी करें एवं जारी आदेश प्रपत्र 06 निदेशालय एवं प्रति स्थानान्तरित संभाग कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावें स्थानान्तरित संभाग कार्यालय कार्मिक का नामांकन अन्तर मण्डल स्थानान्तरण के कारण नियमानुसार नामांकन की कार्यवाही सुनिश्चित करके वांछित आदेश निदेशालय को समयबद्धता से प्रेषित करेंगे।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ब्लॉक स्तर की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु।
2. समस्त संस्था प्रधान राउमावि / राबाउमावि / रामावि / राबामावि
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर